

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देसूरी(पाली) राज. केम्प कोर्ट नाडोल**

पीठासीन अधिकारी :- श्री राजेश मेवाडा (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 107/2016

दायर तिथि :- 01.11.2016

निर्णय दिनांक :- 22.06.2018

**वादी :-**

1. घीसूलाल पुत्र अचलारामजी
2. मूलाराम पुत्र अचलारामजी  
जातिगण-सिरवी, निवासीगण-देवलीपाबूजी  
तहसील-देसूरी जिला पाली राजस्थान
3. नगाराम पुत्र मूलाजी जाति-सिरवी, निवासी-कोटली हाल नाडोल  
तहसील-देसूरी, जिला-पाली, राजस्थान

**ब न अ म**

**प्रतिवादीगण :-**

1. आशाराम पुत्र गुलाजी जाति-सिरवी, निवासी-देवलीपाबूजी  
तहसील-देसूरी, जिला-पाली, राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, देसूरी

**वाद अन्तर्गत धारा 53, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**-: निर्णय :-**

**दिनांक :-22.06.2018**

पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट नाडोल प्रस्तुत हुई। पक्षकारान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 आशाराम व 2 तहसीलदार, देसूरी उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान वादी व प्रतिवादीगण को सुना गया। प्रस्तुत वाद कृषि भूमि विभाजन से संबंधित है एवं सभी पक्षकारान द्वारा हिस्से अनुरूप वादग्रस्त भूमि के विभाजन के लिए सहमत है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पक्षकारान को बाद सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मौजा नाडोल के वर्तमान ख.सं. 3462, 3463, 3464, 3492 कुल रकबा 1.57 हेक्टर किस्म गे.मु. चा.जा.सो., व बा.दो. वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जिसमें वादी 1 से 3 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा खातेदारी स्थित है। तमाम पक्षकार हिस्सों के अनुरूप बाइ मिट्स एण्ड बाउण्ड्स तथा पृथक-पृथक कब्जा अनुसार बंटवारा करवाने के लिये सहमत है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि मौजा नाडोल के वर्तमान ख.सं. 3462, 3463, 3464, 3492 कुल रकबा 1.57 हेक्टर किस्म गे.मु. चा.जा.सो., व बा.दो. वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जिसमें वादी 1 से 3 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 का विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार देसूरी वादग्रस्त भूमि का माफिक हिस्सा बाइ मिट्स एण्ड बाउण्ड्स पक्षकारान के मध्य विभाजन कर रास्तों इत्यादि की

**पेज लगातार 2 पर.....**

//2//

सुविधा रखते हुये अलग-अलग खसरा नम्बर, क्षेत्रफल, किस्म , लगान वर्णित कर विभाजन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। विभाजन रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर पृथक से इजराय पत्रावली कायम की जावें। इस आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार देसूरी व पटवारी हल्का नाडोल को भिजवाई जावें। डिक्री परचा जारी किया जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2018 को केम्प कोर्ट नाडोल में सुनाया गया।



✓

(राजेश मेवाड़ा)  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड देसूरी  
देसूरी

दिनांक :- 22.06.2018

क्रमांक / रीडर / 2018 /  
प्रतिलिपि :- पालनार्थ।

1. तहसीलदार देसूरी
2. पटवारी हल्का नाडोल।

✓

उपखण्ड अधिकारी  
देसूरी